न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 32/2024 **दायर दिनांकः 19.12.2024**

उनवान

1. राजकँवर मीणा आयु 24 वर्ष पुत्री पन्नालाल मीणा जाति मीणा निवासी निमोदा हाल थर्मल कॉलोनी कोटा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनाकः 24.03.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 61 का खसरा न. 211 का रकबा 1.94 है0, खसरा न. 244 का रकबा 0.25 है0, खसरा न. 255/370 का रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 का रकबा 2.44 हैक्टर आराजी हिस्सा 1/12 प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम राजकॅवर मीणा के स्थान पर रानी दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि प्रार्थिया का सही नाम राजकॅवर मीणा है जो कि उसके आधार कार्ड, पेन कार्ड, विद्यालय अंकतालिका आदि दस्तावेजो में भी राजकॅवर मीणा नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थिया दुरूस्त करवा कर अपना नाम रानी के स्थान पर राजकॅवर मीणा दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॅार्ड में रानी कर देने से प्रार्थिया को काफी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:41:03 IST
Reason: SelfAttested

परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थिया बैंक से कृषि ऋण प्राप्त नहीं कर पा रही है और न ही अन्य कृषि योजनाओं इत्यादि का लाभ प्राप्त कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थिया दुरुस्त करवा कर अपना नाम रानी के स्थान पर राजकँवर मीणा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल निमोदा तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी ग्राम/माल निमोदा की खाता संख्या 61 की कुल किता 3 का रकबा 2.44 हैक्टर में प्रार्थिया का नाम रानी के स्थान पर राजकँवर मीणा दर्ज करने या विकल्प में रानी उर्फ़ राजकँवर मीणा दर्ज के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/537 दिनांक 04.03.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल निमोदा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 61, आधार कार्ड राजकंवर, पेन कार्ड राजकंवर, नकल मार्कशीट कक्षा–9, शपथ पत्र जयराज पुत्र धनराज, शपथ पत्र हंसराज पुत्र पन्नालाल व ग्राम पंचायत भैंसडा प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, [illegible] तथा [illegible] अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल निमोदा [illegible] में खाता संख्या 61 का खसरा न. 211 का रकबा 1.94 है0, खसरा [illegible] 0.25 है0, खसरा न. 255/370 का रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 का रकबा 2.44 है0 में सहखातेदार रानी पुत्री पन्नालाल के स्थान पर रानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:41:03 IST
Reason: SelfAttested

उर्फ राजकंवर मीणा पुत्री पन्नालाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—ः:क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या 61 का खसरा न. 211 का रकबा 1.94 है0, खसरा न. 244 का रकबा 0.25 है0, खसरा न. 255/370 का रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 का रकबा 2.44 है0 में सहखातेदार रानी पुत्री पन्नालाल के स्थान पर रानी उर्फ राजकंवर मीणा पुत्री पन्नालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:41:03 IST
Reason: SelfAttested